न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2021 – निगरानी

1. सत्यनारायण पिता उगमा गुर्जर निवासी चमनपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमति लादी देवी बेवा उगमा गुर्जर निवासी चमनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमति प्रेम पत्नि शिवराज गुर्जर निवासी चमनपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा
2. विकास पंचायत चमनपुरा, पंचायत समिति जिला भीलवाडा जरिये सरंपच, विकास पंचायत चमनपुरा, पंचायत समिति व तहसील व जिला भीलवाडा
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चमनपुरा, पंचायत समिति व तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 5.3.2019 पटटा कमांक 12 मिसल संख्या 161 दिनांक 20.06.2018 एवं पंजीकृत पटटा विलेख दिनांक 30.05.2019 उप पंजीयक बनेडा

उपस्थित –

1. श्री कमलेश मेहता अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से

निर्णय

दिनांक 24.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत चमनपुरा द्वारा एक बापी पटटा निगराकार संख्या 01 के पिता व 2 के पति उगमा पिता प्रताप गुर्जर को निम्न लिखित उस समय के पडौसों व नपती का दिनांक 28 मार्च, 1984 को बिल एवज 48/–रूपये में दिया गया तभी से उगमा उक्त भूखण्ड पर काबिज हुए तथा उनके जीवनकाल तक काबिज रहे उनके निंधन के तुरन्त बाद ही निगराकार जो कि उगमा की विधिक वारिस है, उक्त भूखण्ड पर काबिज हुए तथा वर्तमान में भी लगातार काबिज है।

पूर्व आम रास्ता 60 फिट, पश्चिम बगतावर सुथार का खेत 70 फिट, उत्तर आम रास्ता

AEG हिस्सा ही छोड़ा गया है बकाया निगराकार की सारी भूमि को गैर निगराकार को दिये गये पटटै में सम्मिलित कर ली गई है। गैर निगराकार संख्या 1 को दिया गया पटटा निगराकार को दिये गये पटटे के पश्चातवर्ती पटटा है इसलिए प्रारम्भ से ही गैर निगराकार संख्या 1 को दिया गया पटटा अवैध एवं शून्य है तथा निगराकार के मुकाबले बैकार, बैअसर एवं शून्य है। गैर निगराकार संख्या 1 को पटटा दिये जाने के पूर्व आबादी क्षेत्र में पटटे दिये जाने के जो नियम राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत दिये गये है उसकी पालना गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा जानबूझ कर गैर निगराकार संख्या 1 से मिला भगती कर नहीं की गई है। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ने अपने पंजीकृत पटटा विलेख में गैर निगराकार संख्या 1 को पटटा दिये जाने हेतु जिस संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.12.2018 का हवाला दिया गया है वह संकल्प संख्या मिसल संख्या 161 दिनांक 20.06.2018 के पश्चात आती है ऐसी स्थिति में मिसल संख्या 161 जो कि दिनांक 20.06.2018 को कायम की गई उसके पश्चात संकल्प संख्या 3 जो कि 20.12.2018 का बताया गया है किस प्रकार हो सकता है यह विचारणीय विषय हैं इससे यह जाहिर होता है कि पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से मिला भगती कर तथा रेकार्ड में हैराफैरी कर गैर निगराकार संख्या 1 को पटटा जारी किया गया है। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा आबादी भूमि के विक्रय हेतु बनाये गये नियम 146 की कोई पालना नहीं की गई है, क्योंकि न ही गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके की रिपोर्ट बनायी गई, अगर गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके की रिपोर्ट पंचायत के पंचो द्वारा बनायी जाती तो मौके पर निगराकार के भूखण्ड पर उनका कब्जा व उनके द्वारा किये गये निर्माण की वस्तुस्थिति रेकार्ड पर आती जो कि पुलिस थाना बनेडा के द्वारा जो मौका पंर्चा वादग्रस्त भूखण्ड का बनाया गया है जो कि गैर निगराकार संख्या 1 के पति के द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के तोडफौड के अपराध कारित किये जाने के कारण बनाया गया था। इससे भी यह जाहिर होता है कि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा जानबूझकर बिना मौका देखे हुए अपने कार्यालय में बैठ कर ही गैर निगराकार संख्या 1 से मिला भगती कर फर्जी आदेशिका लिख रेकार्ड बना कर पटटा जारी किया गया है। जो पटटा जारी किया गया है उस पटटे में यह वर्णित किया गया है कि गैर निगराकार संख्या 1 का 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा है एवं यह सन 1996 के गत 50 वर्ष के दौरान यह निर्माण किया गया है जबकि 1996 के गत 50 वर्षों में व आज तक उक्त गैर निगराकार संख्या 1 को दिये गये भूखण्ड पर न तो कोई मकान निर्मित था बल्कि केवल निगराकार के पिता व पति

भूखण्ड पर काबिज हुए तथा वर्तमान में भी लगातार काबिज है। निगराकार को दिये गये पटटे की भूमि पर गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से मिला भगती कर एक पश्चातवर्ती पटटा जरिये मिसल संख्या 161 दिनांक 20.6.2018 के जरिये पटटा संख्या 12 दिया जाकर उसका पंजीकरण दिनाक 30.05.2019 को उपपंजीयक बनेडा के यहां पर करा दिया गया। है। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ने अपने पंजीकृत पटटा विलेख में गैर निगराकार संख्या 1 को पटटा दिये जाने हेतु जिस संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.12.2018 का हवाला दिया गया है वह संकल्प संख्या मिसल संख्या 161 दिनांक 20.06.2018 के पश्चात आती है ऐसी स्थिति में मिसल संख्या 161 जो कि दिनांक 20.06.2018 को कायम की गई उसके पश्चात संकल्प संख्या 3 जो कि 20.12.2018 का बताया गया है किस प्रकार हो सकता है। गैर निगराकार संख्या 01 नियम 157 जिसके तहत पुराने मकानों या घर जो कि आबादी क्षेत्र में स्थित है के बाबत पटटा प्राप्त किया जा सकता है के हेतु पात्र नही थी क्योंकि न तो गैर निगराकार संख्या 1 का, न ही उसके पति का व न ही उसके किसी परिवार के सदस्य का कब्जा उक्त भूखण्ड पर था व न ही पूर्व में कोई पुराना मकान बना हुआ था। निवेदन है कि गैर निगराकार संख्या 1 को जारी किया गया पटटा संख्या 12 दिनांक 5.3.2019 जरिये मिसल संख्या 161 दिनांक 20.6.2018 निरस्त फरमाया जाकर उक्त पटटे के आधार पर लिखा गया पंजीकृत पटटा विलेख दिनांक 30.5.2019 को निगराकार के मुकाबले विधि विरूद्ध होने से बेकार, बेअसर व शून्य घोषित किया जावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 को उक्त प्रश्नगत आराजी पर लम्बे अरसे से कब्जा होने से एवं प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में होने से गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 161 दिनांक 20.06.2018 कायम कर, मौका निरीक्षण करा एवं नियमानुसार शुल्क जमा करके तथा सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार पटटा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सूचना पत्र जारी कर वार्ड पंचों के निर्देशन में मौका रिपोर्ट बनायी जाकर नियमानुसार पटटा जारी किया गया। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत पटटा विधि तौर जारी किया जाकर निर्धारित प्रकिया अपनायी जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पटटे का पंजीयन भी करवाया गया जो विधि के तहत सही हैं। निगराकार ने स्वयं के पटटे पर उक्त प्रश्नगत पटटा पश्चातवर्ती जारी होना बताया हैं, जबकि निगराकार ने स्वयं के नाम से जारीशुदा पटटे की प्रमाणित प्रति अथवा मूल पटटा पेश

निगराकार द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

कार्यालय ग्राम पंचायत चमनपुरा के पत्रांक/जीपी/2023–24/1 दिनांक 03.01.2024 अनुसार ग्राम पंचायत की आराजी संख्या 987 पर सत्यनारायण पुत्र उगमा गुर्जर, काना पुत्र प्रताप गुर्जर तथा सोनू पुत्र काना गुर्जर लादी पत्नी उगमा गुर्जर गीता पत्नी सत्यनारायण गुर्जर व ठमु पत्नी काना गुर्जर के नाम पर ग्राम पंचायत चमनपुरा के द्वारा कोई पटटा जारी नही किया गया हैं न ही पुराने पटटो का नवीनीकरण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 161 दिनांक 20.06.2018 के जरिये पटटा संख्या 12 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चमनपुरा द्वारा मिसल संख्या 161 दिनांकित 20.06.2018 के जरिये पटटा संख्या 12 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत चमनपुरा पंचायत समिति सुवाणा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)